-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.02.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में बांदा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्तों की अवैध रुप से अर्जित लगभग 71.75 लाख रुपये की सम्पत्ति को किया गया कुर्क।**

विवरण- प्रदेश में माफियाओं व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 15.02.2024 को बड़ी कार्यवाही की गई। थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम करतल के रहने वाले अभियुक्तों 1. प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद तथा 2. केशव यादव पुत्र कल्लू यादव द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 71 लाख 75 हजार 300 रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। अभियुक्त 1. प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद तथा 2. केशव यादव पुत्र कल्लू यादव के ऊपर गैंगस्टर एक्ट, हत्या तथा अपहरण सहित कुल 03-03 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना नरैनी पर मु0अ0सं0 132/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी थाना कालिंजर श्री ऋषिदेव सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा दिनांक 30.12.2023 को प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद तथा 18.01.2024 को केशव यादव पुत्र कल्लू यादव कि अवैध संपत्ति कि कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 15.02.2024 को दोनों अभियुक्तों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 71 लाख 75 हजार 300 रुपये की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान उपजिलाधिकारी नरैनी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा प्रभारी थाना कालिंजर श्री ऋषिदेव सिंह आदि उपस्थित रहे।

अभियुक्तों का विवरण -

1. प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद निवासी ग्राम करतल, थाना नरैनी, जनपद बांदा।
2. केशव यादव पुत्र कल्लू यादव निवासी ग्राम करतल, थाना नरैनी, जनपद बांदा।

अभियुक्त प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद की जब्त अचल सम्पत्ति का विवरण-

- 01 मकान - कीमत 11 लाख 50 हजार रुपए।

अभियुक्त केशव यादव पुत्र कल्लू यादव की जब्त अचल सम्पत्ति का विवरण-

- 01 मकान - कीमत 60 लाख 25 हजार 300 रुपये रुपए।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 132/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 164/22 धारा 364,302,201 भा0द0वि0 थाना नरैनी जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 71/21 धारा 364,201,34 भा0द0वि0 थाना नरैनी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त केशव यादव पुत्र कल्लू यादव उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 132/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 164/22 धारा 364,302,201 भा0द0वि0 थाना नरैनी जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 71/21 धारा 364, 201, 34 भा0द0वि0 थाना नरैनी जनपद बांदा।